वैकल्पिक भुगतान माध्यम - प्रीपेड कार्ड : मुद्दे और चुनौतियां *

जी. पद्मनाभन

आज मुझे आप सभी के बीच होने पर प्रसन्नता हो रही है और मैं भारतीय भुगतान प्रणाली की भावी योजना पर आपके साथ अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। मैंने पहले भी दो बार आईएएमएआई द्वारा आयोजित इसी प्रकार के सम्मेलन में उद्योग जगत के सहभागियों को संबोधित किया है। तब से अनेक गतिविधियां हुई हैं, मुझे विश्वास है कि वे भारतीय भुगतान उद्योग में हितधारकों को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाएंगी।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 का विधायन इस अर्थ में एक पृथक घटना है क्योंकि इसने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विधिवत प्राधिकृत होने के बाद गैर बैंक कंपनियों को औपचारिक रूप से भुगतान प्रणाली में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की। आप में से कुछ लोग भुगतान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, अलबत्ता ये, अधिकांश तथा प्री-पेड भुगतान लिखत प्रकार की हैं। आपके प्रयास इस दिशा में नए हैं किन्तु रिज़र्व बैंक इस प्रकार के विचारों का स्वागत करता है और यह कम नकदी लेनदेन करने वाला समाज बनाने के हमारे लंबे प्रयास की एक सकारात्मक शुरुआत है। श्रोताओं के प्रोफाइल को देखते हुए, मैं अपनी चर्चा में उन मुद्दों को ही शामिल करूंगा जो इस समूह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी साबित हो सकते हैं।

3. कम नकदी लेनदेन करने वाला समाज बनाने की दिशा में अपने प्रयासों मे हमने हाल में, अपना भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज का मसौदा जारी किया है और इसे जनता की राय जानने के लिए उनके बीच रखा गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि हमें आप में से अनेक लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। हम आपकी राय और विचारों को ध्यान में रखकर विज़न दस्तावेज को अंतिम रूप दे रहे हैं।

4. हमने विज़न दस्तावेज में कौन-कौन से मुख्य मुद्दे शामिल किए हैं? और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उद्योग के समक्ष कौन-सी चुनौतियां हैं? हमारा विज़न है कि हम भारत में कम नकदी लेनदेन करने वाले समाज में प्रवेश करने के लिए इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली को सक्रिय रूप से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि देश में भुगतान और निपटान प्रणाली सुरक्षित, सक्षम, अंत:प्रचालनीय, प्राधिकृत, उपलब्ध, समावेशी और अन्तरराष्ट्रीय मानदंड़ों के अनुसार हैं। इनमें से प्रमुख नई बातें जो इस अवसर पर प्रासंगिक हैं, 'समावेशी' और 'कम नकदी' के लेनदेन पर जोर देने से संबंधित हैं - कृपया ध्यान दें कि हम नकदी रहित समाज के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं बल्कि कम नकदी लेनदेन करने वाले समाज के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसे हम अधिक यथार्थवादी मानते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत अब भुगतान और निपटान प्रणाली समिति का सदस्य है, इसलिए हमें अन्तरराष्ट्रीय मानदंड़ों का अनुपालन करना होगा।

5. कथित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे समक्ष कौन-सी चुनौतियां हैं? हाल में , मैंने एक मजेदार पुस्तक पढ़ी जिसका शीर्षक था, 'जुगाड़' (नवी राडजौ, जयदीप प्रभु और सिमोन आहूजा)। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जुगाड़ क्या होता है? लेखक के अनुसार जुगाड़ हिन्दी बोलचाल की भाषा का शब्द है जिसका मतलब है कि पटुता और चतुराई से बनाया गया एक नवोमेन्षी और कामचलाऊ उपाय। लेखक ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है कि संचार में सबसे बड़ा भारतीय जुगाड़ मोबाइल फोन में मिस्ड कॉल है। भारत इसमें सबसे आगे है ! इस जुगाड़ का नकारात्मक अर्थ होते हुए भी, हमें इस पर सकारात्मक रूप से विचार करने की आवश्यकता है और हमें मानना होगा कि सकारात्मक रूप में यह नवोन्मेषी उपाय अथवा जुगाड़ भारत के लिए न सिर्फ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए महत्त्वपूर्ण बनता जा रहा हैं बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा भी भावी विकास दीर्घकालिक और समावेशी हो इसके लिए भी महत्त्वपूर्ण है। लेखक ने उभरते देशों में जुगाड़ के 6 सिद्धांत बताएं हैं जो आप जैसे श्रोता के लिए बहुमूल्य हैं, ये इस प्रकार हैं:

1. कठिनाई में अवसर की तलाश
2. कम संसाधनों से अधिक काम करना
3. विचार करें और विनम्रतापूर्वक कार्य करे
4. सहज रखें
5. मार्जिन शामिल करें
6. दिल की सुनें

यदि इस सम्मेलन के संदर्भ में इन 6 सिद्धांतों पर विचार किया जाए तो इनसे कई मौलिक मुद्दे मिल सकते हैं।

* 12 सितंबर 2012 को मुम्बई में 5वें वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान सम्मलेन में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी.पद्मनाभन द्वारा दिया गया भाषण। श्री जी.श्रीनिवास, श्री सास्वत महापात्रा और श्रीमती राधा सोमकुमार द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभारी हैं।

6. पहला, क्या प्री-पेड उद्योग आज इस बात का दावा कर सकता है कि जो भी किया जा सकता था वह सब किया जा चुका है। मेरा विचार है कि यद्यपि विनियामक ने भुगतान क्षेत्र में गैर बैंकों को प्रवेश का अधिकार दे दिया है और गैर बैकों ने भी ज्यादातर पीपीआई को चुना है, किन्तु इसके परिणाम बहुत अच्छे और उत्साहजनक नहीं दिखते हैं। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में प्री-पेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारी करने की गति सुस्त है और सुस्त बनी हुई है। वर्ष के दौरान पीपीआई जारी करने का औसत 48.96 मिलियन रहा है जिसमें सबसे ज्यादा जुलाई 2011 में 57.46 बिलियन रहा था। और इन संख्याओं के बीच मुझे सूचना मिली है कि एक विशेष पीपीआई जारीकर्ता ने अधिक संख्या में प्रत्येक 1 रुपये के पीपीआई जारी किए हैं। इस संवृद्धि पैटर्न को परिलक्षित करते हुए, कुल कार्ड लेनदेनों के प्रतिशत के रूप में लेनदेन की मात्रा (2.3 प्रतिशत) और पीपीआई के साथ लेनदेन किए गए मूल्य (2.5 प्रतिशत) भी बहुत ही कम है। दूसरा, क्या विनियामक ने वह सब कुछ किया है जो कुछ किया जा सकता था? मैं आत्मरक्षा करते हुए इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। भारतीय रिज़र्व बैंक भुगतान उद्योग के सहभागियों के लिए सक्षम परिवेश बनाने में हमेशा से ही आगे रहा है। पीएसएस अधिनियम की शुरुआत और अप्रैल 2009 में जारी दिशा-निर्देशों के समय से 21 गैर बैंक प्रतिष्ठानों को पीपीआई जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जिसमें से 18 प्रतिष्ठान पीपीआई जारी रहे हैं और शेष अन्य 3 प्रतिष्ठान इसे जारी करने की प्रक्रिया में हैं। प्राधिकार देने के अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उद्योग की संवृद्धि बढ़ाने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर नीतिगत उपाय भी किए हैं। ऐसा करते समय हमने हमेशा जोखिम का प्रबंधन किया है और हमारी नीतियों की आधारशिला के रूप में धनशोधन निवारण की चिंताओं का भी समाधान किया है। इस दृष्टिकोण के आधार पर हमने अनेक तर्कसंगत उपाय किए हैं। किन्तु जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विनियामक सिर्फ एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, जारीकर्ताओं को ही इसमें तेजी से काम करना पड़ेगा। तीसरा, क्या उद्योग संघों ने वह सब कुछ किया है जो वे कर सकते थे? क्या हम अपेक्षित परिचालनों के स्तर को प्राप्त करने में अपनी ऊर्जा लगाने के बजाए अड़चनों और विनियमनों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? हमें इस पर पहले ही कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। बल्कि आत्मविश्लेषण करने का यह सही समय है।

7. अब मैं उन महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ जिन पर आगे दो दिनों में चर्चा होगी।

भुगतान प्रणाली नवोन्मेष और गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाताओं की भूमिका

8. भुगतान प्रणाली में गैर-बैंक प्रतिष्ठानों की बढ़ी भूमिका भुगतान प्रणाली के ढांचे में बदलाव करने की उनकी क्षमता से जुड़ी हुई है क्योंकि ये बाजार के बड़े वर्ग की आवश्यकता को ध्यान में रखकर नवीनतम तकनीकी वाली विशेषताओं का उपयोग करके अपने उत्पादों से लाभ उठा सकते हैं। क्या ऐसा भारत में हुआ है? जैसा कि सांख्यिकी से पता चलता है कि समग्र रिटेल सेगमेंट में पीपीआई का हिस्सा यद्यपि बढ़ा है किन्तु अभी भी जरूरी स्तर को नहीं प्राप्त कर सका है। यदि हम जारी किए गए पीपीआई का विश्लेषण करें, प्री-पेड भुगतान लिखत के प्रमुख हिस्से में 73.40 प्रतिशत हिस्सा पेपर वाउचर का है। अन्य हिस्सा मैगस्ट्रिप का 16.59 प्रतिशत (अधिकांश बैंकों द्वारा जारी किया), एम-वॉलेट का 9.94 प्रतिशत और ई-वॉलेट का 0.07 प्रतिशत का है। इसमें कौन-से नवोन्मेष की बात है जब पेपर पीपीआई ने मात्र नकदी का एवजी रूप लिया है? इसी प्रकार, पीपीआई वाले सूक्ष्म भुगतान भारत में क्यों सफल नहीं हुए जबकि इस खंड में विनियमन बाधा ज्यादा कठोर भी नहीं हैं। ₹2000 तक जारी किए गए पीपीआई और उपयोगिता भुगतान पीपीआई के लिए केवाईसी मानदंड़ों में बहुत अधिक रियायत दी गई है। फिर कम से कम इन खंड़ों में पीपीआई क्यों सफल नहीं हुआ? क्या हमारे पास इनका कोई विश्वसनीय जवाब हैं?

पहुंच और समावेशन को बढ़ाना

9. हमने अपने विज़न दस्तावेज में पहुंच और समावेशन पर जोर दिया है। पीपीआई उद्योग पहुंच और समावेशन के अंतर को कैसे भर सकता है? हमें इस पर अनेक सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए। क्या पीपीआई जारीकर्ताओं के वर्तमान मॉडल उपयुक्त हैं? अधिकांश जारीकर्ताओं की भौगोलिक अड़चनें हैं। हमने प्राधिकार पाने के बाद अनेक जारीकर्ताओं को लेनदेनों की संख्या को बढ़ाते हुए नहीं देखा है। इसलिए, सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या पीपीआई जारीकर्ताओं के पास दीर्घकालिक लक्ष्य पाने हेतु तैयार रहने के लिए कोई साधन हैं और क्या ये राष्ट्रव्यापी प्रभाव डाल सकते हैं? लेनदेन की मात्रा और नेटवर्क सेवाओं को बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं हैं? पीपीआई जारीकर्ता कारोबार संपर्की के रूप में कार्य करके बैंकों के साथ अपना संबंध क्यों नहीं बना सकते हैं और सरकारी संवितरण को उनके द्वारा जारी प्री-पेड भुगतान लिखतों पर क्यों नहीं लोड कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के जरिए पहुंच और समावेशन को बढ़ावा मिल सकेगा? यद्यपि, पहुंच और समावेशन की चिंता अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ज्यादा है। मौजूदा भुगतान प्रणाली में पहुंच और समावेशन के अंतर को भरने के लिए अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीपीआई जारीकर्ताओं की मात्रा और उपस्थिति क्या है? इस संदर्भ में, विनियामक के लिए प्रश्न यह है कि प्रवेश मानदंड़ों की समीक्षा होनी चाहिए ताकि सिर्फ गंभीर सहभागी इसमें आ सकें? अथवा, क्या यह उपाय करना बहुत जल्दबाजी है?

मानकीकरण और अंतर परिचालनीयता

10. हमने अपने विज़न दस्तावेज में मानकीकरण और अंतर परिचालनीयता पर जोर दिया है। हमें पीपीआई के बीच अंतर परिचालनीयता, सभी पीओएस टर्मिनलों के उपयोग, अन्य भुगतान उत्पादों की तरह अन्य भुगतान प्रणाली परिचालकों के बीच अंतर परिचालनीयता की अनुमति के संबंध में पीपीआई उद्योग से बहुत-से सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। हमने सभी सुझावों की प्रशंसा की है। अंतर परिचालन के लिए मानकीकरण पहली जरूरत है। गैर-बैंक द्वारा जारी पीपीआई, इस प्रकार के पीपीआई का उपयोग उन माध्यमों में जहां बैंक द्वारा जारी पीपीआई जारी किए जाते हैं और अन्य मॉडल स्वीकार किए जाते हैं, के बीच अंतर परिचालनीयता केवल मानकीकरण के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। किसी भुगतान लिखत को मुख्यधारा के स्वीकार्य इन्फ्रास्ट्रक्चर में बदलना समय की मांग है। गैर बैंक द्वारा जारी पीपीआई को अन्य पीओएस टर्मिनल में स्वीकार करने के लिए उन्हें फॉर्म फैक्टर स्पेसीफिकेशन और अपने स्विच की कनेक्टिविटी को अपनाने की आवश्यकता है। क्या उद्योग ने इसके लिए उपाय किए हैं? दूसरी ओर, बैंकों द्वारा जारी पीपीआई के पास स्वीकार्य इन्फ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि वे उद्योगवार मानकों का पालन करते हैं। इसलिए प्रौद्योगिकी और गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता के कारोबार मॉडल में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने की जरूरत होगी। अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब अधिकांश कार्ड पेपर मोड में जारी किए जाते हैं तो क्या उद्योग इस प्रकार के परिवर्तनों के लिए तैयार हैं? क्या इन सेवा प्रदाताओं की कागज रहित लेनदेन सुविधा प्रदान करने की कोई योजना है?

11. अंतर परिचालनीयता में समाशोधन और निपटान के एक केन्द्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर की भी परिकल्पना की गई है। हमने गैर-बैंक प्राधिकृत प्रतिष्ठान द्वारा जारी पूरी तरह से केवाईसी अनुपालित पीपीआई से एनएफएस, एनपीसीआई की बैंक सदस्यता रखने वाले प्रायोजक बैंक रूट के जरिए किसी बैंक के खाते में निधि अंतरण करने की अनुमति पहले ही दे दी है। फिर इस प्रकार के निधि अंतरण में तेजी क्यों नहीं आ रही है?

12. हमने अपने विजन दस्तावेज में भुगतान प्रणाली परिचालकों के बीच सहकार्य और सहयोग की आवश्यकता के बारे में चर्चा की है। पीपीआई जारीकर्ताओं के बीच सहयोग का स्तर क्या है? क्या कम से कम व्यापारियों को शामिल करके सहकार्य करने के कोई प्रयास किए गए हैं? क्या व्यापार कोड का मानकीकरण किया गया है और पीएसएस अधिनियम के तहत अनुमोदित सभी पीपीआई जारी कर्ताओं की पहुंच सभी व्यापारियों तक उपलब्ध है? क्या उद्योग ने विचार विमर्श किया है कि लेनदेन की मात्रा और संख्या को बढ़ाने के लिए इस त्रिपक्षीय मॉडल में सहकार्य और सहयोग कैसे किया जा सकता है?

13. इस मुद्दे पर सहमति से ग्राहकों में इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, क्योंकि उनके पास पीपीआई को चुनने के अधिक विकल्प होंगे और इससे नकदी रहित लेनदेनों को बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

केवाईसी संबंधी मुद्दे

14. उद्योग से केवाईसी अपेक्षाओं को उदार बनाने के लिए अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं। अन्य देशों की विभिन्न योजनाओं के बारे में यहां उल्लेख किया गया है, जहाँ पर वे आरामदायक और सरलीकृत केवाईसी परिवेश में कार्य कर रहे हैं। हम यह भी जानते हैं कि कई देशों में पीपीआई का प्रयोग करके सरकारी लाभ का संवितरण किया जा रहा है। हम जिसकी समीक्षा कर रहे हैं, उस पर चर्चा करने से पहले मैं सावधान करना चाहता हूँ। आप में से कितने लोगों ने रवि सुब्रमणियम को पढ़ा है? और खासकर आपमें से कितने लोगों ने उनकी पुस्तक 'दि इनक्रेडिबल बैंकर्स' पढ़ी है? क्या हमारे लिए यह सहज है कि रवि ने जो कुछ लिखा है मात्र कल्पना भर है? इसमें अंतर्निहित संदेश बहुत ही स्पष्ट है। प्रतिस्पर्धा से नीचे जाने का लक्ष्य नहीं होता और न ही विश्राम त्याग का पर्याय हो सकता है। यदि आपको नई बनी सड़क पर तेज चलने की अनुमति दी जाती है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप आंखे बंद करके गाड़ी चलाएं। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि हम किस बात की समीक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं।

15. विज़न दस्तावेज में हमने वचन दिया है कि पीपीआई दिशा-निर्देशों की समीक्षा में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इससे उद्योग को आगे मदद मिलेगी। किन्तु इस बात को समझना चाहिए कि पीपीआई जितना अधिक बैंक खाते के निकट होगा, उतना ही केवाईसी/धन शोधन निवारण को उसी रूप में लागू करने की आवश्यकता होगी जिस प्रकार वे विशेष रूप से बैंक पर लागू हैं। जैसे-जैसे पीपीआई की संस्थाएं संबंध बनाएंगी, वैसे-वैसे तुलनीय एएमएल/सीएफटी बाध्यताओं को लागू करना होगा। यही कारण है कि हमारे पास पीपीआई के लिए मौजूदा एएमएल ढांचे में जोखिम आधारित दृष्टिकोण है। पीपीआई उद्योग की मांग और मौजूदा एएमएल ढांचे के बीच संतुलन बनाने के लिए हम निरंतर दिशा-निर्देश बनाते रहेंगे। ऐसा करते समय, कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि अन्य देशों में चल रही योजनाएं भारत में उसी रूप में पूरी तरह से लागू नहीं हो सकती हैं। यूएसए में केवाईसी के बिना 1000 अमरीकी डॉलर तक के पीपीआई जारी करते समय जोखिम अवधारणा उस रूप में नहीं हो सकती जिस प्रकार भारत में ₹50,000/- तक के पीपीआई जारी करते समय जोखिम अवधारणा होती है। अनुमत सीमा, टाप-अप्स और रिलोडबिलिटी न सिर्फ खरीद क्षमता पर निर्भर करेगी बल्कि सुदृढ़ प्रवर्तन और

अनुपालन ढांचे से संबंधित जोखिम को दूर करने के लिए लागू प्रणाली पर भी निर्भर करेगी।

16. नकदी के स्थान पर पीपीआई का प्रयोग करने के पीछे एक कारण ट्रेल भी है जो पीपीआई प्रदान करता है। तथापि, यह जरूरी है कि पीपीआई जारीकर्ता इस स्थिति में हो कि वह अपेक्षित ट्रेल दे सके। कई मामलों में हमने पाया है कि कार्ड निर्गम को जानने की समुचित प्रणाली नहीं है, लेनदेन ट्रेल का पता लगाने के लिए अलग प्रणाली होनी चाहिए। इस बात को और स्पष्ट रूप से ऐसे समझे, चूंकि अब न्यूनतम केवाईसी मानदंड़ निर्धारित हो चुके हैं, अतः सिम कार्ड जारी करते समय यदि इन नियमों का समुचित ढंग से पालन किया जाए, तो मोबाइल आधारित प्रीपेड प्रणाली में अंकेक्षण-क्षमता और सुगम हो जाएगी। आवश्यक सहचर्य बनाने के लिए राष्ट्रीय पहचान योजना को सशक्त रूप से भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। उद्योग को इस बात का पता लगाना है कि कितनी जल्दी आधार योजना को पहचान और सत्यापन की जरूरत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चूंकि यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए जब भी केवाईसी के दिशा-निर्देशों में रियायत की मांग पर ध्यान दिया जाए तो उद्योग को आवश्यक संकेत और लेनदेन ट्रेल के लिए प्रणाली को बेहतर करने हेतु कार्य करना चाहिए।

17. लेनदेन सीमाओं को बढ़ाने की मांग की जा रही है। केवाईसी के साथ समझौता करके लेनदेन की सीमा बढ़ाना धन-शोधन की अतिसंवेदनशीलता को देखते हुए एक जोखिम भरा कार्य होगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि लेनदेन सीमा बढ़ाने से लेनदेनों के लिए अन्य कार्ड योजनाओं पर प्राधिकरण के एक अतिरिक्त कारक के रूप में लागू है। समानुपातिक रूप से उसी प्रकार की रक्षा और संरक्षा में बढ़ोतरी करनी होगी। उद्योग को इस मुद्दे पर और अधिक विचार-विमर्श करने की जरूरत है और नियामक के रूप में हम इस प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप कार्य करने के लिए उत्सुक हैं।

जागरुकता फैलाना - क्या उद्योग वैकल्पिक भुगतान माध्यमों का प्रयोग बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहा है?

18. मैं पूछता हूँ कि कोई ग्राहक पीपीआई क्यों खरीदे और कोई बिना ब्याज के ₹50, 000/- तक की रकम क्यों अवरुद्ध रखे। इससे पता चलता है कि हमें पीपीआई के बारे में जागरुकता फैलाने की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ कि यह एक बहुत ही कठिन कार्य है क्योंकि पीपीआई रूट के जरिए नकदी लेनदेनों को लाने के लिए जनसंख्या के उस वर्ग की पहचान करने की जरूरत है जिसको नकदी रखने और इसका इस्तेमाल कहीं भी करने में खुशी होती है। इस प्रकार के उत्पाद के लाभ के बारे में उन्हें समझाना एक परीक्षा है लेकिन इसके साथ स्वीकार्य इन्फ्रास्ट्रक्चर और बैकवर्ड लिंकेज बनाने की भी आवश्यकता है। हमें इस प्रकार के मुद्दों के लिए जन मीडिया के जरिए जागरुकता अभियान चलाने के माध्यम से मार्ग तलाशना होगा।

व्यवस्थित संवृद्धि की आवश्यकता - क्या उद्योग इसके लिए नियम और विनियमन बना रहा है?

19. अपने निरीक्षण दायित्व के रूप में, हमने कई परिचालकों का ऑन साइट निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पता चला कि इसमें निलंब खाते के रखरखाव, केवाईसी दिशा-निर्देशों के अनुपालन, संदिग्ध लेनदेनों की निगरानी और रिपोर्ट करने तथा ग्राहकों के लेनदेन के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली और व्यवहार का न होने जैसी कमियां पाई गईं।

20. पीपीआई उद्योग के लिए विनियामक दिशा-निर्देश देश में तीन साल पुराने हैं। प्रतिष्ठान अभी भी इको प्रणाली सीख रहे हैं और अभी कारोबार मॉडल विकसित हो रहे हैं। नए होने के नाते, गैर बैंक प्रतिष्ठान प्रक्रिया की अपेक्षा कारोबार पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। एक नियामक की दृष्टि से यह बहुत उत्साह की बात नहीं है। अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा।

21. मैंने उन महत्त्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करने का प्रयास किया है जिनका समाधान पीपीआई उद्योग वैकल्पिक भुगतान माध्यमों को बढ़ाकर करें और इन माध्यमों को अधिक क्रियाशील बनाए। साथ ही, प्रतिष्ठानों के पहले दौर के ऑन साइट निरीक्षण के दौरान विनियमनों और प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने संबधी कई बातें पता चली हैं। इनका शीघ्र समाधान और निराकरण किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, आईएएमएआई जैसे उद्योग संगठन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं यदि अपनी भूमिका को इसके सदस्यों के लिए सिर्फ लाबीइंग निकाय बनाने की तुलना में एसआरओ के रूप में स्वीकार करें। मैं आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन विचारों और चिंताओं पर और अधिक चर्चा हो।

22. मैं आपको इन चर्चाओं की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।